समाहरणालय,गोपालगंज

(जिला सा0 सु0 कोषांग)

आदेश

ज्ञापांक 312 / दिनांक 26/06/2020

राज्य आयुक्त निःशक्तता बिहार पटना के पत्रांक 896 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा **140वीं हेलेन केलर जयन्ती (27.06.2020) के अवसर पर** राज्य निवासी दिव्यांगजनों एवं उससे जुडे व्यक्तियों व संस्थाओं व सरकारी अधिकारीगण व अन्य के साथ **विविध ऑनलाईन मिडिया साधन यथा–विडीयो कॉनफ्रेन्सिग यूट्यूब, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सएप्प आदि के माध्यमों से वर्चुअल ई–जन जागरूकता–सह–ई संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर दिव्यांगजनों को** उनके अधिकारों को संरक्षण उनके कल्याणनार्थ संचालित योजनाओं अपने समस्याओं/शिकायतों को ऑन लाईन लोक अदालत के माध्यम से समाधान एवं आगामी बिहार विधान सभा चुनाव 2020 में मतदान का अधिकार के संबंध में जागरूकता किये जाने का निदेश प्राप्त हुआ है।

उक्त क्रम में दिनांक 27.06.2020 को **140वीं हेलेन केलर जयन्ती के अवसर पर** दिव्यांगजनों के साथ ई संवाद के माध्यम से हेलेन केलर जयन्ती के थीम **''शत–प्रतिशत दिव्यांगजन करें। अपने मताधिकार का प्रयोग (सरल सुगम समावेसी एवं बाधा रहित मतदान) एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में प्रदत्त अधिकार सुरक्षा संरक्षण पूर्ण भागीदारी हिस्सेदारी एवं प्रोडक्टिव सीटीजन) मिले बिहार के हर दिव्यांगजनों के द्वार–द्वार''** के आलोक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला गोपालगंज निम्न संसाधनों यथा पंचायत स्तर पर गठित दिव्यांगजन समूह, कार्यपालक सहायक, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, विकास मित्र ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से प्रखंड स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक जागरूत करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला प्रबंधक सक्षम बिहार बुनियाद केन्द्र गोपालगंज/हथुआ अपने स्तर से सभी तकनिकी कर्मी को अपने आवंटित प्रखंड में दिव्यांगजनों को ई संवाद द्वारा हेलेन केलर जयन्ती के थीम के आलोक में जागरूक कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें।

सिविल सर्जन गोपालगंज एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गोपालगंज एवं सर्व शिक्षा अभियान गोपालगंज अपने स्तर से विभिन्न संसाधनों के माध्यम से दिव्यांगजनों को जागरूकता सुनिश्चित करायेंगे।

जिला जन सर्म्पक पदाधिकारी, गोपालगंज को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से 140 वी हेलेन केलर जयन्ती के अवसर पर दिनांक 27.06.2020 को आयोजित उक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार इलेकट्रानिक एवं प्रिन्ट मिडिया के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगें।

सभी स्वयं सेवी संस्था रेड क्रॉस सोसाईटी गोपालगंज को निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से जागरूकता सुनिश्चित करायेगें।

सभी संबंधित पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेगें।

अनु0–विभागीय पत्र

26/6/20

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।